उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा [7] अनुभाग

संख्या- 841 /15-7-96-1 [145]/95

लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 1996.

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 1982] की धारा-35 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग
[प्रथम संशोधन] नियमावली, 1996.

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- [1]- यह नियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग [प्रथम संशोधन] नियमावली, 1996 कही जायगी ।

[2]- यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम-11 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम- 11 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उप नियम [2] के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उप नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
[2]- सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए भर्ती के वर्ष अन्तिम दिनांक को सेवा-निवृत्ति के कारण होने xxxx	[2] [क]- सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए भर्ती के वर्ष अन्तिम दिनांक को सेवा - निवृत्ति के कारण होने

----2/-

वाली सम्भावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए प्रबन्धतंत्र द्वारा रिक्तियों का विवरण परिशिष्ट "क" में दिये गये प्रपत्र में पृथकतः चार प्रतियों में भर्ती के वर्ष की 15 जुलाई तक निरीक्षक को भेजा जायेगा और निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापन करने के पश्चात जिले में प्रवक्ता श्रेणी की रिक्तियों के बारे में विषयवार रिक्तियों का और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के बारे में समूहवार रिक्तियों का समेकित विवरण पत्र तैयार करेगा । इस प्रकार तैयार किया गया समेकित विवरण-पत्र, प्रबन्धतंत्र से प्राप्त विवरण पत्र की प्रतियों के साथ, निरीक्षक द्वारा आयोग को 31 जुलाई, तक और उसकी एक प्रति उप निदेशक को भेजी जायेगी ।

परन्तु यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करना समीचीन है, तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी विशेष भर्ती के वर्ष के सम्बन्ध में आयोग को रिक्तियों के अधिसूचित किये जाने के लिए कोई अन्य दिनांक नियत कर सकती है ।

परन्तु यह और कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक

वाली सम्भावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए प्रबन्धतंत्र द्वारा रिक्तियों का विवरण परिशिष्ट "क" में दिये गये प्रपत्र में पृथकतः चार प्रतियों में भर्ती के वर्ष की 15 जुलाई तक निरीक्षक को भेजा जायेगा और निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापन करने के पश्चात, जिले में प्रवक्ता श्रेणी की रिक्तियों के बारे में विषयवार रिक्तियों का और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के बारे में समूहवार रिक्तियों का समेकित विवरण पत्र तैयार करेगा । इस प्रकार तैयार किया गया समेकित विवरण पत्र, प्रबन्धतंत्र से प्राप्त विवरण पत्र की प्रतियों के साथ निरीक्षक द्वारा आयोग को 31 जुलाई तक और उसकी एक प्रति उप निदेशक को भेजी जायेगी ।

परन्तु यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करना समीचीन है, तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी विशेष भर्ती के वर्ष के सम्बन्ध में आयोग को रिक्तियों के अधिसूचित किये जाने के लिए कोई अन्य दिनांक नियत कर सकती है ।

परन्तु यह और कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को विद्यमान रिक्तियों

को विद्यमान रिक्तियों के साथ साथ 30 जून, 1995 को सम्भावित रिक्तियों का विवरण पत्र प्रबन्धतंत्र यदि xx पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कोई अन्य दिनांक नियत नहीं किया गया है, निरीक्षक को 15 जून, 1995 तक भेजेगा और निरीक्षक इस उप नियम के अनुसार समेकित विवरण पत्र आयोग को 30 जून, 1995 तक भेजेगा ।

स्पष्टीकरण- इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षित स्नातकों (एल0टी0) श्रेणी के सम्बन्ध में शब्द समूहवार का तात्पर्य निम्नलिखित समूहों के अनुसार से है, अर्थात --

(क)- भाषा समूह — इस समूह में हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी विषय है ।

(ख)- विज्ञान - समूह — इस समूह में विज्ञान और गणित विषय है ।

(ग)- कला और शिल्प समूह

(घ)- संगीत समूह

(ड.)- कृषि समूह

(च)- गृह विज्ञान समूह

(छ)- शारीरिक शिक्षा समूह

(ज)- सामान्य समूह- इस xxx समूह में वे विषय हैं जो जो किसी पूर्ववर्ती समूह में न आये हों ।

के साथ साथ 30 जून, 1995 को सम्भावित रिक्तियों का विवरण पत्र प्रबन्धतंत्र यदि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कोई अन्य दिनांक नियत xxxxx नहीं किया गया है निरीक्षक को 15 जून, 1995 तक भेजेगा और निरीक्षक इस उप नियम के अनुसार समेकित विवरण आयोग को 30 जून, 1995 तक भेजेगा ।

स्पष्टीकरण- इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षित स्नातकों (एल0टी0) श्रेणी के सम्बन्ध में शब्द समूहवार का तात्पर्य निम्नलिखित समूहों के अनुसार से है, अर्थात --

(क)- भाषा समूह — इस समूह में हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, फारसी और अरबी विषय हैं।

(ख)- विज्ञान-- समूह — इस समूह में विज्ञान और गणित विषय हैं ।

(ग)- कला और शिल्प समूह

(घ)- संगीत समूह

(ड.)- कृषि समूह

(च)- गृह विज्ञान समूह

(छ)- शारीरिक शिक्षा समूह

(ज)- सामान्य समूह-- इस समूह में वे विषय हैं जो किसी पूर्ववर्ती समूह में न आये हों ।

----4/-

ऻखऻ– किसी संस्था के प्रधान के पद के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र दो ज्येष्ठतम अध्यापकों के नाम, उनके सेवा अभिलेखों ऻजिनमें चरित्र पंजी भी सम्मिलित है ऻ की प्रतियाँ और ऐसे अन्य अभिलेख या विशिष्टियाँ, जिनकी आयोग समय समय पर अपेक्षा कर सकता है, को भी अग्रसारित करेगा ।

स्पष्टीकरण –– इस उप नियम के प्रयोजन के लिए "ज्येष्ठतम अध्यापकों" का तात्पर्य संस्था में की गई कुल सेवा को विचार में लाए बिना, संस्था में उच्चतम श्रेणी में पदासीन ज्येष्ठतम अध्यापकों से है ।

ऻगऻ– यदि कोई संस्था हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट कालेज तक उच्चीकृत कर दी गई है, तो ऐसे कालेज के प्रधानाचार्य का पद ऐसे हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक की पदोन्नति द्वारा आयोग के अनुमोदन से, यदि उसे तत्समय प्रवृत्त नियम के अनुसार मौलिक रूप में सम्यक रूप से प्रधान अध्यापक नियुक्त किया गया था और उसका सेवा अभिलेख अच्छा है और वह इस निमित्त विहित न्यूनतम अर्हताएँ रखता है या बोर्ड द्वारा ऐसी अर्हताओं से उसको छूट प्रदान कर दी गई है । ऐसी पदोन्नति के लिए प्रस्ताव प्रबन्धतंत्र द्वारा आयोग को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, आगे विनिर्दिष्ट रीति से सम्बन्धित प्रधान अध्यापक की सेवा पुस्तिका,

----5/-

चरित्र पंजी और शैक्षणिक और अन्य अर्हताओं के साथ प्रस्तुत करेगा ।

नियम-12 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नियम 12 में -

(क)- नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उप नियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात --

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उप नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2)- आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और, यथास्थिति, परिशिष्ट ख, ग, या घ में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए सूचियां तैयार करेगा, और प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के पद के संबंध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व	(2)- आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और, यथास्थिति, परिशिष्ट ख, ग, या घ में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए सूचियां तैयार करेगा, और प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल0टी0) श्रेणी के पद के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अधिकतम गुणवत्ता बिन्दुओं को प्राप्त किया हो, इस रीति से

---6/-

सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अधिकतम गुणवत्ता बिन्दुओं को प्राप्त किया हो, इस रीति से बुलायेगा कि अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या के पांच गुने से अधिक न होगी । बुलायेगा कि अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या के पांच गुने से अधिक न होगी परन्तु किसी संस्था के प्रधान के पद के सम्बन्ध में आयोग इसके अतिरिक्त संस्था के दो ज्येष्ठतम अध्यापकों को भी जिनके नाम प्रबन्धतंत्र द्वारा नियम-11 के उप नियम ॥2॥ के खण्ड ॥ख॥ के अधीन निरीक्षक के माध्यम से अग्रसारित किये गये हैं, साक्षात्कार के लिए बुलायेगा ।

॥ख॥- नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उप नियम ॥5॥ के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उप नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
॥5॥ उप नियम ॥3॥ के अनुसार पैनल तैयार करने के पश्चात आयोग प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातकों ॥एल0टी0॥ श्रेणी में अध्यापकों के पदों के सम्बन्ध में चयनित अभ्यर्थियों को इस रीति से संस्थाओं का आवंटन करेगा कि वह अभ्यर्थी, जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर, हो, उप नियम ॥4॥ के अनुसार उसके द्वारा दिये गये प्रथम	॥5॥ उप नियम ॥3॥ के अनुसार पैनल तैयार करने के पश्चात आयोग प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातकों ॥एल0टी0॥ श्रेणी में अध्यापकों के पदों के सम्बन्ध में चयनित अभ्यर्थियों को इस रीति से संस्थाओं का आवंटन करेगा कि वह अभ्यर्थी, जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो, उप नियम ॥4॥ के अनुसार उसके द्वारा दिये गये प्रथम अधिमानता की संस्था को आवंटित होगा । जहां किसी चयनित अभ्यर्थी

--7/-

अधिमानता की संस्था में आवंटित होगा । जहाँ किसी चयनित अभ्यर्थी को इस आधार पर उसके अधिमान की संस्थायें आवंटित नहीं की जा सकती कि पैनल में उससे उच्चतर स्थान वाले अभ्यर्थियों को पहले ही ऐसी संस्थायें आवंटित की जा चुकी है, और कि उनमें कोई रिक्ति शेष नहीं है तो आयोग उसको कोई भी संस्था जो वह उचित समझे, आवंटित कर सकता है ।

को इस आधार पर उसके अधिमान की संस्थायें आवंटित नहीं की जा सकती कि पैनल में उससे उच्चतर स्थान वाले अभ्यर्थियों को पहले ही ऐसी संस्थायें आवंटित की जा चुकी है, और कि उनमें कोई रिक्ति शेष नहीं है तो आयोग उसको कोई भी संस्था जो वह उचित समझे, आवंटित कर सकता है ।

परन्तु यह कि संस्था के प्रधान से भिन्न किसी अभ्यर्थी को उसके गृह जिले की ~~xxxxxx~~ संस्था आवंटित नहीं की जायेगी ।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(डा० इन्दु प्रकाश ऐरन)
प्रमुख सचिव, शिक्षा ।

UTTAR PRADESH SHASAN

SHIKSHA ANUBHAG - 7

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 841 /15-7-1(145)/95, dated 26 February, 1996.

NOTIFICATION

No. 841 /15-7-1(145)/95

Dated : Lucknow : 26 February, 1996

In exercise of the powers under section 35 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission Act, 1982 (U.P. Act No. 5 of 1982) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission Rules, 1995.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES COMMISSION (FIRST AMENDMENT) RULES, 1996

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (First Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 11

2. In the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission Rules, 1995, hereinafter referred to as the said rules, in rule 11, for existing sub rule (2) set out in Column 1 below, the sub-rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

Column 1 Existing sub-rule	Column 2 Sub-rule as hereby substituted
(2) The statement of vacancies for each category of post to be filled	(2)(a) The statement of vacancies for each category of post to be filled in by

---- 2

in by direct recruitment or by promotion, including the vacancies that are likely to arise dure to retirement on the last day of the year of recruitment, shall be sent separately in quadruplicate in the proforma given in Appendix 'A' by the Management to the Inspector by July 15 of the year of recruitment and the Inspector shall, after verification from the record of his office, prepare consolidated statement of vacancies of the district subjectwise in respect of the vacancies of lecturer grade and groupwise in respect of vacancies of trained graduates(L.T.) grade. The consolidated statement so prepared shall, along with the copies of statement

direct recruitment or by promotion, including the vacancies that are likley to arise due to retirement on the last day of the year of recruitment, shall be sent separately in quadruplicate in the proforma given in Appendix 'A' by the Management to the Inspector by July 15 of the year of recruitment and the Inspector shall after verification from the record of his office, prepare consolidated statement of vacancies of the district subjectwise in respect of the vacancies of lecturer grade, and groupwise in respect of vacancies of trained graduates(L.T.) grade. The consolidated statement so prepared shall, along with the copies of statement received from the Management, be sent by the Inspector to the Commission by July 31 with a copy thereof to the Deputy Director:

Provided that if the State Government is satisfied that it is expedient so to do, it may,

---- 3

received from the Management, be sent by the Inspector to the Commission by July 31 with a copy thereof to the Deputy Director :

Provided that if the State Government is satisfied that it is expedient so to do, it may, by order in writing, fix other dates for notification of vacancies to the Commission in respect of any particular year of recruitment :

Provided further that in respect of the vacancies existing on the date of the commencement of these rules as well as the vacancies that are likely toxxxxxxx arise on June 30, 1995 the Management shall, unless some other dates are fixed under the preceeding proviso, send the statement of vacancies by June 15, 1995 to the Inspector and the Inspector shall send the consolidated statement in accodance with this sub rule to the Commission by June 30, 1995.

by order in writing, fix other dates for notification of vacancies to the Commission in respect of any particular year of recruitment:

Provided further that in respect of the vacancies existing on the date of the commencement of these rules as well as the vacancies that are likely to arise on June 30, 1995 the Management shall, unless some other xxx dates are fixed under the preceeding proviso, send the statement of vacancies by June 15, 1995 to the Inspector and the Inspector shall send the consolidated statement in accordance with this sub rule to the Commission by June 30, 1995.

Explanation- For the purposes of this sub-rule the word groupwise in respect of the trained graduates(L.T.)grade mears in accordance with the following groups, namely:

Explanation- For the purposes of this sub-rule the word groupwise in respect of the trained graduates(L.T.) grade mears in accordance with the following groups, namely :

(a)	Language Group	This group consists of the subjects of Hindi, Sanskrit, Urdu,persian and Arabic;
(b)	Science Group	This group consists of the subjects of Science and Mathematics;
(c)	Art and Craft Group;	
(d)	Music Group;	
(e)	Agriculture Group;	
(f)	Home Science Group;	
(g)	Physical Education Group;	
(h)	General Group	This group consists of the subjects not covered in any of the foregoing groups.

(a)	Language Group	This group consists of the subjects of Hindi, Sanskrit,Urdu, Persian and Arabic;
(b)	Science Group	This group consists of the subjects of Science and Mathematucsl
(c)	Art and Craft Group;	
(d)	Music Group;	
(e)	Agriculture Group;	
(f)	Home Science Group	
(g)	Physical Education Group;	
(h)	General Group	This group consists of the subjects not covered in any of the foregoing groups.

(b) In regard to the post of head of an institution, the Management shall also forward the names of two senior most teachers, copies of their service records (including character rolls) and such other record or particulars as the Commission may require from time to time.

Explanation - For the purpose of this sub-rule 'senior most teachers' mean the senior-most teachers in the post of the highest grade in the institution, irrespective of total service put in the institution.

(c) Where an institution is

raised from High School to an Intermediate College, the post of Principal of such a college shall, with the approval of XXXX the Commission be filled by promotion of the Headmaster of such Highschool if he was duly appointed as Headmaster in substantive capacity in accordance with law for the time being in force and possesses a good record of service and the minimum qualifications prescribed in that behalf or has been granted exemption from such qualifications by the Board. Proposal for such promotion shall be submitted by the Management to the Commission, mutatis mutandis, in the manner hereinafter specified, along with the service book, character roll and the educational and other qualifications of the Headmaster concerned.

Amendment of rule 12

3. In the said rules, in rule 12 -

(a) for existing sub-rule (2) set out in column I below, the sub-rule as set out in column II shall be substituted, namely :-

Column I Existing sub-rule	Column II Sub-rule as hereby substituted
(2) The Commission shall scrutinize the applications and prepare lists for each category of posts on the basis of quality points specified in Appendix B, C or D, as the case may be,	(2) The Commission shall scrutinize the applications and prepare lists for each category of posts on the basis of quality points specified in Appendix B, C or D, as the case may be,

and having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens in respect of the post of the teacher in lecturers and trained graduates (L.T.) grade, call for interview such candidates who have secured the maximum quality points in such manner that, the number of candidates shall not exceed five times than the number of vacancies.	and having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens in respect of the post of the teacher in lecturers and trained graduates (L.T.) grade, call for interview such candidates who have secured the maximum quality points in such manner that, the uumber of candidates shall not exceed five times than the number of vacancies. Provided that in respect of the post of the head of an institution the Commission shall also in addition call for interview two seniormost teachers of the institution whose names are forwerded by the Management through inspector under clause (b) of sub-rule (2) of rule 11.

(b) for existing sub-rule (5) set out in column I below the sub-rule as set out in column II shall be substituted, namely :-

Column I Existing sub-rule	Column II sub-rule as hereby substituted
(5) The Commission shall after preparing the panel in accordance with sub-rule (3), allocate the institutions to the selected candidates in	(5) The Commission shall after preparing the panel in accordance with sub-rule (3), allocate the institutions to the selected candidates in

respect of the posts of teachers in lecturers and trained graduates (L.T.) grade in such mannerthat the candidate whose name appears at the top of the panel shall be allocated the institution of his first preference given in accordance with sub-rule (4). Where a selected candidate cannot be allocated any of the institutions of his preference on the ground that the candidates placed higher in the panel have already been allocated such institutions and there remains no vacancy in them, the Commission may allocate any institution to him as it may deem fit :

Provided that no candidate shall be allocated the institution of his home district.

respect of the posts of teachers in lecturers and trained graduates (L.T.) grade in such manner that the candidate whose name appears at the top of the panel shall be allocated the institution of his first preference given in accordance with sub-rule (4). Where a selected candidate cannot be allocated any of the institutions of his preference on the ground that the candidates placed higher in the panel have already been allocated such institutions and there remains no vacancy in them, the Commission may allocate any institution to him as it may deem fit;

Provided that no candidate other than head of the institution shall be allocated the institution of his home district.

(Dr. I.P. Aron)
Principal Secretary.